मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई–5, अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, भोपाल–16
Phone:pbx:0755-2464428,fax:0755-2463742 e-mail:it_mppcb@rediffmail.com

# आम सूचना

## प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, विकय एवं उपयोग पर प्रतिबंध

मध्य प्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना कमांक एफ 5–2/2015/18–5 भोपाल, दिनांक 24 मई, 2017 के माध्यम से मध्य प्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम 2004 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लोकहित में सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, विकय एवं उपयोग पर दिनांक 24/05/2017 से पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004 की धारा–9 के अन्तर्गत दण्ड का प्रावधान है। उल्लंघन पाये जाने पर एक महीने तक का कारावास अथवा एक हजार रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से एक साथ तथा उल्लंघन की निरंतरता पाये जाने पर कारावास तीन महीने तक एवं जुर्माना पाँच हजार रूपये तक अथवा दोनों से एक साथ दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

उपरोक्त प्रतिबंध के साथ–साथ भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना कमांक सा.का.नि. 320(अ) दिनांक 18 मार्च, 2016 के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा जारी अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 के सभी अन्य प्रावधान प्रभावशील हैं। उपरोक्त नियमों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु स्थानीय नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत, प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादनकर्ता, प्लास्टिक उत्पादक, आयातकर्ता व ब्राण्ड स्वामी के उत्तरदायित्व निहित किये गये हैं। पर्यावरण के हित में सर्वसंबंधितों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है :–

1. पान मसाला, तम्बाखू और गुटखा की पैकिंग में प्लास्टिक सामग्री/विनाईल ऐसीडेट मेलिक एसिड विनाईल क्लोराईड का उपयोग नहीं होगा।
2. प्लास्टिक शीट या मल्टी लेयर पैकिंग जिस पर निर्माता का विवरण या मार्क स्थापित नहीं है उसका कय–विकय नहीं होगा।

3. प्लास्टिक शीट/फिल्म का निर्माण नियम 2016 में किये गये प्रावधान के अनुसार लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं किया जायेगा।

4. प्लास्टिक कैरी बैग के स्थान पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रमाणित व आई.एस. -17088 मानकों के अनुरूप निर्मित कम्पोस्टेबिल (बॉयो वेस्ड) कैरी बैग का उपयोग किया जा सकता है।

5. अनाधिकृत क्षेत्रों में अनाधिकृत रूप से संचालित प्लास्टिक फिल्म निर्माता इकाईयों को जिला प्रशासन के माध्यम से तत्काल बन्द किया जाये।

6. स्थानीय/नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायतें खुले क्षेत्र में प्लास्टिक अपशिष्ट को जलाने पर प्रभावशील रूप से नियंत्रण करेंगी।

अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-15 के अन्तर्गत पाँच वर्ष तक कारावास या एक लाख रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधाना है। नियमों का लगातार उल्लंघन पाये जाने पर पाँच हजार रूपये प्रतिदिन अतिरिक्त जुर्माने का प्रावधान है।

एन. एल. पटेल
अधिवास मंत्री